संख्या-6/2023/67/तेइस-7-2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2023

विषय:-श्री रमेश चन्द्र, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-।, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-10456व्यग/04व्यग(56)/2022, दिनांक 09-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, सहपठित प्रथम संशोधन नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-।, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा का उपचार नानवती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुम्बई में दिनांक 02-10-2022 से 13-10-2022 तक कराये गये चिकित्सा पर दावा की गयी व्यय धनराशि रू0 6,78,978/- (रूपये छः लाख अटठत्तर हजार नौ सौ अटठत्तर मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 5,40,618/- (रूपये पॉच लाख चालीस हजार छः सौ अटठारह मात्र) की प्रतिपूति श्री रमेश चन्द्र, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-।, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूति दावें का भुगतान प्रथम बार ही किया जा रहा है एवं भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन- 04-कार्यकारी-49-चिकित्सा व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

संख्या-6/2023/67(1)/तेइस–7–2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, गोण्डा ।

5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

7- अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा।

8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-I, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

9- श्री रमेश चन्द्र, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-I, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

10- गार्ड पत्रावली हेतु।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।